7

# कुंदन

# हिंदी व्याकरण

अध्यापक सहायक-पुस्तिका

WOODS
BOOK PUBLISHING

## कुंदन हिंदी व्याकरण–7

### 1. भाषा और व्याकरण

**( क )** 1. संस्कृत की 2. 22 3. ये दोनों 4. दो 5. अंग्रेज़ी **( ख )** 1. लिपि 2. सीमित 3. बोलना 4. व्याकरण **( ग )** 1. 7 2. 3 3. 3 4. 7 5. 3 6. 7 **( घ )** नेपाली, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेज़ी, जर्मन, रूसी, जापानी, चीनी **( ङ )** 1. भाषा के दो रूप हैं–मौखिक भाषा व लिखित भाषा। दैनिक जीवन में इनका बहुत महत्व है। हम अपने दैनिक जीवन में अपने मन के विचार व भाव मौखिक भाषा द्वारा बोलकर व लिखित भाषा द्वारा लिखकर प्रकट करते हैं। 2. किसी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ विशेष चिह्न निश्चित किए जाते हैं। ये चिह्न संबंधित भाषा के वर्ण कहलाते हैं। इन चिह्नों के समूह या वर्णों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी 'गुरुमुखी' लिपि में, उर्दू 'फ़ारसी' लिपि में तथा अंग्रेज़ी 'रोमन' लिपि में लिखी जाती है। 3. किसी भाषा की नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। 4. प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। उसकी ध्वनियाँ, शब्द, वाक्य-रचना के नियम भी पृथक होते हैं। किसी भाषा के सब नियमों को एकत्र करना, उन्हें पाठकों को समझाना तथा भाषा का मानक रूप स्थापित करना व्याकरण का कार्य है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा पहले बनती है और उसका व्याकरण बाद में बनता है। व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा में बाँधता है, इससे भाषा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। 5. व्याकरण के तीन अंग हैं–**1. वर्ण-विचार**–इसमें वर्णों, उनके आकार, लिखने की विधि, भेदों तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। **2. शब्द-विचार**–इसमें शब्दों, उनके भेदों, उनकी व्युत्पत्ति, मेल तथा रूपांतरण आदि पर विचार किया जाता है। **3. वाक्य-विचार**–व्याकरण के इस अंग में वाक्य-भेद, वाक्य-संश्लेषण, वाक्य-रचना तथा विराम- चिह्नों आदि पर विचार किया जाता है। **करने की बारी**–स्वयं करें।

### 2. वर्ण-विचार

**( क )** 1. 2 2. 3 3. आगत 4. 2 5. **( ख )** 1. ह्रस्व 2. अंत:स्थ 3. प्लुत 4. दो **( ग )** 1. 3 2. 7 3. 7 4. 3 **( घ )** संत-अनुस्वार, चंदन-अनुस्वार, हंस-अनुस्वार, पंख-अनुस्वार, पाँच-अनुनासिक, हँस-अनुनासिक, मुँह-अनुनासिक, रंग-अनुस्वार, कंस-अनुस्वार, दाएँ-अनुनासिक, ठंडा-अनुस्वार, जाँच-अनुनासिक **( ङ ) चरण–** च् + अ + र् + अ + ण् + अ, **लीला–** ल् + ई + ल् + आ, **मिठाई–** म् + इ + ठ् + आ + ई, **पल्लवी–** प् + अ + ल् + ल् + अ + व् + ई, **किसान–** क् + इ + स् + आ + न् + अ **( च )** 1. बनावट के अनुसार स्वरों के दो भेद हैं–(1) मूल स्वर (2) संधि स्वर (1) **मूल स्वर**–जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से न हुआ हो, वे मूल स्वर कहलाते हैं। ये चार हैं–अ, इ, उ, ऋ। परंतु 'ऋ' को

अब मूल स्वर नहीं माना जाता, क्योंकि इसका उच्चारण (र् + इ) 'र्' व्यंजन व 'इ' स्वर के योग से होता है। (2) **संधि स्वर**–जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के योग से होता है; वे संधि स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में सात हैं–अ+अ=आ, इ+इ=ई, उ+उ=ऊ, अ+इ=ए, अ+ए=ऐ, अ+उ=ओ, अ+ओ=औ 2. जब कोई स्वर किसी व्यंजन से पहले आता है, तो उसका रूप अपरिवर्तनीय रहता है; परंतु व्यंजन के बाद आने पर स्वर का रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। 3. **स्पर्श व्यंजन**–जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन हैं। 4. वर्णों के उच्चारण हेतु मुख द्वारा की जाने वाली चेष्टा या यत्न प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न दो प्रकार का होता है–(क) आभ्यांतर प्रयत्न (ख) बाह्य प्रयत्न। **( क ) आभ्यांतर प्रयत्न**–वर्णों के उच्चारण से पूर्व जो भीतरी प्रयत्न करना पड़ता है, वह आभ्यांतर प्रयत्न कहलाता है। (ख) **बाह्य प्रयत्न**–वर्णों को बोलते हुए अंत में किए गए प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। 5. 'अं' को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में हवा नासिका (नाक) से निकलती है। इसका चिह्न (ं) है। अनुनासिक के उच्चारण में हवा मुख और नासिका दोनों से निकलती है। इसका चिह्न (ँ) है। **( छ )** 1. जब एक व्यंजन अपने जैसे अन्य व्यंजन से मिलता है, तो द्वित्व व्यंजन बनता है। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है; जैसे–पत्ता, अम्मा, चक्कर, अन्न, सच्चा, लट्टू, टट्टू। 2. संयुक्त व्यंजन की रचना दो व्यंजनों के संयोग से होती है; जैसे–**क्ष**–क्+ष–क् और ष के मेल से बना, **त्र**–त्+र–त् और र के मेल से बना, **ज्ञ**–ज्+ञ–ज् और ञ के मेल से बना, **श्र**–श्+र–श् और र के मेल से बना। **करने की बारी–**स्वयं करें।

### 3. शब्द विचार

**( क )** 1. 5 2. देशज 3. फारसी 4. 4 5. 4 **( ख )** 1. ध्वनि 2. ध्वनियों 3. पद 4. समानार्थक या पर्यायवाची शब्द 5. रूढ़ शब्द **( ग )** स्वयं करें। **( घ )** कृषक, चतुर्थ, कर्ण, मयूर, चर्म, निद्रा, रात्रि, कूप, आम्र **( ङ )** सावन, ऊँचा, सब्जी, गाँठ, भाई, आग, कौआ, आज, सूरज **( च )** 1. शब्दों को अलग-अलग आधार पर विभिन्न भागों में बाँटा गया है, जिनमें चार आधार प्रमुख हैं– (क) उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर (ख) व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर (ग) अर्थ के आधार पर (घ) प्रयोग के आधार पर 2. स्रोत के आधार पर शब्द के पाँच भेद हैं-(1) तत्सम शब्द (2) तद्भव शब्द (3) देशज शब्द (4) विदेशी शब्द (5) मिश्रित शब्द। **तत्सम शब्द के चार उदाहरण**–अग्नि, दुग्ध, तरु, पुष्प। **तद्भव शब्द के चार उदाहरण**–चाँद, कान, रात, सावन। **देशज शब्द के चार उदाहरण**–पगड़ी, डिबिया, रोटी, झुग्गी। **विदेशी शब्द के चार उदाहरण**–कोट, खजाना, बेगम, चश्मा। **मिश्रित शब्द**

**के चार उदाहरण**–टिकटघर-टिकट (अंग्रेज़ी) + घर (हिंदी), रेलगाड़ी-रेल (अंग्रेज़ी) + गाड़ी (हिंदी), घड़ीसाज-घड़ी (हिंदी) + साज (अरबी), वर्षगाँठ–वर्ष (संस्कृत) + गाँठ (हिंदी) 3. स्वयं करें। 4. वाक्यों में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है; ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं तथा जो शब्द प्रत्येक परिस्थिति में अपरिवर्तनीय रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। 5. अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं–(1) एकार्थी (2) अनेकार्थी (3) समानार्थी या पर्यायवाची (4) विलोमार्थी या विलोम शब्द। **( 1 ) एकार्थी शब्द**–जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं; जैसे–लोहा, ईंट, रोटी, पत्नी, मित्र आदि। **( 2 ) अनेकार्थी शब्द**–जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं; जैसे–**कर**–हाथ, सूँड़, टैक्स **वार**–आक्रमण, दिन **( 3 ) समानार्थी या पर्यायवाची शब्द**– जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं; जैसे– **जल**–सलिल, नीर, पानी, वारि आदि। **राजा**–महीप, भूपति, नरेश, नृप आदि। **( 4 ) विलोमार्थी या विलोम शब्द**–जो शब्द एक-दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करें, उन्हें विलोमार्थी या विलोम शब्द कहते हैं; जैसे-विजय-पराजय, डर-निडर, एक-अनेक आदि। **करने की बारी**–स्वयं करें।

### 4. उपसर्ग एवं प्रत्यय

**( क )** 1. इन दोनों से 2. पहले 3. बाद में **( ख ) प्र**–प्रलय, प्रमाण **स**–सफल, सरस **अ**–अज्ञान, अधर्म **उप**–उपकार, उपदेश, **कु**–कुचाल, कुरूप, **अधि**–अधिनायक, अधिकार, **अति**–अतिक्रमण, अतिशय, **आ**–आकार, आचार **( ग ) पन**–बचपन, **वाला**–रखवाला, **आवट**–सजावट, **ईला**–रसीला, **कार**–कलाकार, **आई**–मिठाई **( घ )** 1. जो शब्दांश शब्दों से पूर्व जुड़कर, उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं; जैसे–ज्ञान में 'अ' जोड़कर शब्द बना है 'अज्ञान'। यहाँ 'अ' जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। 2. ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं; जैसे–भला+ई=भलाई ('ई' प्रत्यय)। यहाँ विशेषण (भला) में 'ई' प्रत्यय जुड़ जाने से 'भलाई' शब्द (भाववाचक संज्ञा) का निर्माण हुआ है। 3. उपसर्ग शब्दों से पूर्व जुड़कर, उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं, जैसे- प्र+शिक्षण = प्रशिक्षण, प्र+बल = प्रबल। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं जैसे-कला + कार = कलाकार, नीति + इक = नैतिक। **करने की बारी**–स्वयं करें।

### 5. संधि

**( क )** 1. मेल 2. 3 3. 5 **( ख )** रवींद्र, रेखांश, मतानुसार, पवन, नयन, इत्यादि, प्रत्युपकार,

हरीश, जलोर्मि, निर्णय, शरच्चंद्र, उल्लास, अन्वय, महैश्वर्य, सूर्योर्जा, सप्तर्षि **( ग )** प्रति+एक, महा+औषध, पर+उपकार, सदा+एव, योग+अभ्यास, सु+उक्ति, महा+ऋषि, यदि+अपि, सदा+एव, महा+ओज, भो+अन, यदि+अपि, उत्+ज्वल, वधू+उत्सव, महा+इंद्र, सत्+जन **( घ )** 1. जब दो शब्द एक-दूसरे के समीप आते हैं, तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण आपस में मिल जाते हैं। यह मिलना ही संधि है। जैसे-विद्या + आलय = विद्यालय, राम + अवतार = रामावतार। 2. संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को यदि फिर से अलग-अलग कर दिया जाए, तो यह प्रक्रिया संधिच्छेद या संधि-विच्छेद कहलाती है; जैसे–विद्यालय का संधिच्छेद होगा–विद्या+आलय। नरेंद्र का संधिच्छेद होगा–नर+इंद्र। 3. संधि के तीन भेद हैं–(1) स्वर संधि (2) व्यंजन संधि (3) विसर्ग संधि। **स्वर संधि का उदाहरण**– महा + इंद्र = महेंद्र। **व्यंजन संधि का उदाहरण–**उत् + हार = उद्धार। **विसर्ग + संधि का उदाहरण–** नमः + ते = नमस्ते। 4. स्वर संधि के पाँच भेद हैं–(1) दीर्घ संधि (2) गुण संधि (3) वृद्धि संधि (4) यण् संधि (5) अयादि संधि। 5. स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर के साथ होता हैं; जैसे-देव + आलय = देवालय (अ + आ), कपि + ईश = कपीश (इ + ई)। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर परिवर्तन होता है, जैसे–सत् + जन = सज्जन (त् + ज = ज्ज – व्यंजन + व्यंजन), जगत् + ईश = जगदीश (त् + ई = दी – व्यंजन + स्वर) **करने की बारी–**स्वयं करें।

## 6. समास

**( क )** 1. 6 2. अव्ययीभाव समास का 3. 6 4. द्वंद्व **( ख )** 1. गंगा का तट, संबंध तत्पुरुष 2. तीन रंगों का समूह, द्विगु 3. पेट भरकर, अव्ययीभाव 4. शरण को आया हुआ, कर्म तत्पुरुष 5. नीला है जिसका कंठ, बहुव्रीहि **( ग )** 1. परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं; जैसे-रसोई के लिए घर = रसोईघर। 2. **समस्तपद**–समासयुक्त पद को 'समस्तपद' कहते हैं। समास करते समय वाक्यांश के पद के बीच से विभक्ति चिह्न हटा देते हैं। विभक्ति रहित शब्दों को मिला देने से समस्तपद बनता है। जैसे- राजा का कुमार = राजकुमार (समस्तपद) **समास विग्रह–**समस्तपद को पुनः पहले जैसी अवस्था में अलग करना समास-विग्रह कहलाता है। जैसे–**राजकुमार**=राजा का कुमार (समास विग्रह) 3. समास में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है जैसे-'युद्धभूमि' समास में 'युद्ध' पूर्वपद तथा 'भूमि उत्तरपद है। 4. समास के प्रमुख छह भेद हैं–(1) अव्ययीभाव समास (उदाहरण-यथाशक्ति, आजीवन) (2) तत्पुरुष समास (उदाहरण-यशप्राप्त, देशभक्ति, धर्मविमुख, सेनापति) (3) कर्मधारय समास (उदाहरण-नीलगाय, महाराज) (4) द्विगु समास (उदाहरण-त्रिफला, चतुर्भुज) (5)

द्वंद्व समास (उदाहरण-माता-पिता, रात-दिन) (6) बहुव्रीहि समास (उदाहरण-कमलनयन, त्रिलोचन) **करने की बारी–**स्वयं करें।

### 7. शब्द-भंडार

**( क )** 1. निर्झर 2. भूप 3. दनुज 4. तुरंग **( ख )** विष, प्रकाश, दोष, मधुर, अकार्य, शांत, अस्थायी, पराजय, प्रकट **( ग )** 1. क्षण भर में भंग (नष्ट) होने वाला 2. जो सर्व शक्ति संपन्न है। 3. जिसके हृदय में ममता नहीं है। 4. तर्क के द्वारा जो सम्मत (माना जा चुका) है। **( घ )** **ईश्वर–**भगवान, प्रभु **आम–**आम्र, अमृतफल **कोयल–**कोकिल, कोकिला **जल–** पानी, जीवन **तालाब–**सरोवर, जलाशय **शेर–**केसरी, पशुराज **( ङ )** 1. जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। 2. कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। 3. हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं, जो उच्चारण की दृष्टि से प्रायः समान पाए जाते हैं; परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को समश्रुति (सुनने में समान लगने वाले) भिन्नार्थक (अर्थ में भिन्नता वाले) शब्द कहा जाता है। **( च )** स्वयं करें। **( छ )** 1. भंडार, खजाना 2. शक्तिहीन, विरक्त 3. आशा, अनादर 4. अनाज, दूसरा 5. शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर, एक पशु 6. सहारा, शीघ्र 7. नतीजा, मात्रा 8. अत्यधिक, दुश्मन 9. सुगंधित द्रव, दूसरा **करने की बारी–**स्वयं करें।

### 8. संज्ञा

**( क )** 1. 5 2. नदी 3. ये दोनों 4. द्रव्यवाचक संज्ञा 5. व्यक्तिवाचक संज्ञा **( ख )** 1. अगणनीय 2. भाववाचक संज्ञा 3. गणनीय 4. जातिवाचक **( ग )** खेल, अच्छाई, मनुष्यता, नारीत्व, पुरुषत्व, सफेदी **( घ )** 1. जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है, उसे 'संज्ञा' कहा जाता है। 2. संज्ञा के पाँच भेद हैं–(1) व्यक्तिवाचक संज्ञा (2) जातिवाचक संज्ञा (3) भाववाचक संज्ञा (4) द्रव्यवाचक संज्ञा (5) समूहवाचक संज्ञा 3. भाववाचक संज्ञाएँ पाँच प्रकार के शब्दों से बनती हैं–(क) जातिवाचक संज्ञाओं से (ख) सर्वनामों से (ग) विशेषणों से (घ) क्रियाओं से (ङ) अव्ययों से। **जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा**-प्रभु-प्रभुता, सेवक-सेवा **सर्वनाम-भाववाचक संज्ञा**-पराया-परायापन, निज-निजता, निजत्व **विशेष विशेषणों से भाववाचक संज्ञा**-कमज़ोर-कमज़ोरी, नीच- नीचता **क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा**-जीतना-जीत, हारना-हार **अव्यय-भाववाचक संज्ञा**-नीचे-निचाई, ऊपर-ऊपरी 4. जिन शब्दों से प्राणियों व वस्तुओं के गुण, दोष, भाव, अवस्था, स्थिति आदि का बोध होता है, उन्हें 'भाववाचक संज्ञा' कहते हैं। जैसे– बचपन, जवानी, बुढ़ापा, शत्रुता, मित्रता, लंबाई, चौड़ाई, मिठास, दुःख, सुख, गरमी, सरदी आदि। **करने की बारी–व्यक्तिवाचक**–नंदू, इब्राहिम, गंगा **जातिवाचक–**बस्ती, पेड़, मजदूर **भाववाचक–**भार, मानवता, अहिंसा **द्रव्यवाचक–**कपड़े, सोना, कोयला। **करने की बारी–**स्वयं करें।

## 9. लिंग

**( क )** 1. 2 2. ये दोनों 3. 2 4. पुल्लिंग 5. पुल्लिंग **( ख )** 1. 7 2. 3 3. 3 4. 3 5. 3 **( ग )** 1. फिल्म की नायिका एक सीधी-सादी युवती है। 2. उसने फेरी वाले से स्टील का एक कटोरा खरीदा। 3. पंडिताइन की दीन दशा मुझसे देखी न गई। 4. कवि सम्मेलन में एक कवयित्री को आमंत्रित किया गया। **( घ )** डिबिया, नाली, तेलिन, धोबिन, चोरनी, यशस्विनी, कवयित्री, बाला, मादा मगरमच्छ, गाय, दादी, मादा भालू, बाघिन, नारी, मादा तोता, लुटिया, शिष्या, गुणवती, मजदूरनी, चिड़िया, सुधारिका **( ङ )** बैल, कांत, मियाँ, भाई, पुत्र, अध्यापक, विद्वान, हंस, रुद्र, पति, नाई, नौकर, पुरुष, भील, बाघ, नर मछली, नर गिलहरी, डिब्बा **( च )** 1. शब्द के जिस रूप से यह पता चले, कि वह पुरुष (नर) जाति का है अथवा स्त्री (मादा) जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं-(1) पुल्लिंग (2) स्त्रीलिंग 2. प्राणीवाचक संज्ञाओं में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। **नित्य पुल्लिंग शब्दों के पाँच उदाहरण**–तोता, कौआ, उल्लू, मच्छर, भेड़िया, **नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के पाँच उदाहरण**–कोयल, चील, लोमड़ी, गिलहरी, दीमक 3. से 5. तक स्वयं करें। **करने की बारी**–स्वयं करें।

## 10. वचन

**( क )** 1. संख्या 2. 2 3. एकवचन के रूप में **( ख )** 1. पत्तियों 2. छात्रों 3. मोरों 4. मुसाफिरों 5. बालिकाओं **( ग )** 1. 7 2. 3 3. 3 4. 3 5. 7 **( घ )** स्त्रियाँ, शीशे, गौएँ, प्रजाजन, वस्तुएँ, विधियाँ, चाबियाँ, ऋषिसमाज, लेखकगण, गाथाएँ **( ङ )** कथा, छात्र, बहू, लू, कुटी, आप, सड़क, ताली, कला, आँख **( च )** 1. लुएँ चल रही हैं। 2. मेरी घड़ियाँ खराब हैं। 3. डाकू माल लूटकर फरार हो गए। 4. आचार्यों ने हमें अच्छी बातें बताईं। 5. पुत्रों को पिताओं की सेवा करनी चाहिए। **( छ )** 1. शब्द का वह रूप, जिससे यह ज्ञात हो, कि वह एक संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है, अथवा एक से अधिक के लिए, वचन कहलाता है। 2. शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, उसे एकवचन कहते है; जैसे-लड़का, पुस्तक, बच्चा, कुत्ता, खिलौना, मैं आदि। 3. शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे-लड़के, पुस्तकें, बच्चे, कुत्ते, खिलौने, हम आदि। 4. किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एकवचन को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है इसे आदरार्थक बहुवचन कहते हैं। जैसे–(1) श्रीराम दशरथ के पुत्र थे। (2) महात्मा गाँधी महान थे। (3) मेरो पिताजी घर पर हैं। (4) उसके चाचाजी डॉक्टर हैं। **करने की बारी**–स्वयं करें।

## 11. कारक

**( क )** 1. 8 2. ये दोनों 3. के लिए 4. से 5. ने **( ख )** 1. संबोधन 2.करण 3. कर्म 4. संबंध **( ग )** 1. परीक्षा मार्च में होगी। 2. मोहन ने चाकू से सेब काटा। 3. रमा को स्कूल जाना है। 4. वह रमेश की दुकान नहीं है। 5. मैं शाम को आऊँगा। **( घ )** 1. संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम पदों से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं; जैसे-'माँ ने बेटे को समझाया।' वाक्य में 'माँ' व 'बेटे' कारक हैं। 2. कारक के निम्नलिखित आठ भेद होते हैं–(1) कर्ता कारक (2) कर्म कारक (3) करण कारक (4) संप्रदान कारक (5) अपादान कारक (6) संबंध कारक (7) अधिकरण कारक (8) संबोधन कारक। **( 1 ) कर्ता कारक के तीन उदाहरण–**(क) ममता ने मिठाई खाई। (ख) मैंने पुस्तक पढ़ी। (ग) ममता मिठाई खाती है। **( 2 ) कर्म कारक–**(क) शिकारी ने शेर को देखा। (ख) माँ ने बेटे को समझाया। (ग) बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। **( 3 ) करण कारक के तीन उदाहरण–**(क) मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। (ख) उसने चाकू से फल काटा। (ग) मैं नौकर के द्वारा संदेश भेज दूँगा। **( 4 ) संप्रदान कारक के तीन उदाहरण–**(क) मैंने प्रदीप को पुस्तक दी। (ख) रवि ने सरला के लिए घड़ी खरीदी। (ग) देश हेतु अपना कर्तव्य पूरा करो। **( 5 ) अपादान कारक के तीन उदाहरण–**(क) बंदर पेड़ से कूद पड़ा। (ख) वृक्ष से फल गिरा। (ग) हाथ से प्याला छूट गया। **( 6 ) संबंध कारक के तीन उदाहरण–**(क) राधा का लेख सुंदर है। (ख) वह मेरा घर है। (ग) सुदीप के पिताजी आ रहे हैं। **( 7 ) अधिकरण कारक के तीन उदाहरण–**(क) बंदर पेड़ पर बैठा है। (ख) पिताजी कमरे में सो रहे हैं। (ग) मैं दो दिन में आ जाऊँगा। **( 8 ) संबोधन कारक–**(क) अरे भाई! यहाँ तो आओ। (ख) बेटा, यहाँ आओ। (ग) बच्चो! खूब मन लगाकर पढ़ो। 3. कारक चिह्नों; जैसे-'ने, को, के लिए, का, की, के, रा, री, रे, में, पर' आदि को विभक्ति चिह्न कहते हैं। **( ङ )** 1. **कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर–** दोनों कारकों में 'को' परसर्ग का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है; जैसे–माँ ने बेटे को समझाया। (कर्म कारक)। माँ ने बेटे को घड़ी दी। (संप्रदान कारक) 2. **करण कारक और अपादान कारक में अंतर–**करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति-चिह्न 'से' है, परंतु करण कारक में 'से' किसी साधन या सहायक का सूचक होता है, जबकि अपादान कारक में 'से' अलग होने का सूचक होता है। जैसे-मैंने पेन से पत्र लिखा। (करण कारक)। मेरे हाथ से पेन छूट गया। (अपादान कारक) **करने की बारी–**स्वयं करें।

## 12. सर्वनाम

**( क )** 1. सबका नाम 2. छह 3. तीन 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम 5. निश्चयवाचक सर्वनाम

**( ख )** 1. मुझे 2. किस 3. तुम्हें 4. मुझसे 5. तुझे 6. उस **( ग )** 1. यह वह वे 2. स्वयं खुद अपने आप 3. क्या कौन किससे **( घ )** 1. मुझे आज जाना है। 2. आपको वहाँ जाना था। 3. मैं आपको अपना पता दूँगा। 4. मुझे तुझसे कुछ कहना है। 5. मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। 6. किसी आदमी का नाम मुझे पता नहीं। **( ङ )** 1. वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द 'सर्वनाम' कहलाते हैं। 2. सर्वनाम के छह भेद हैं-(1) पुरुषवाचक सर्वनाम (2) निश्चयवाचक सर्वनाम (3) अनिश्चयवाचक सर्वनाम (4) संबंधवाचक सर्वनाम (5) प्रश्नवाचक सर्वनाम (6) निजवाचक सर्वनाम 3. नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द संज्ञा होता है जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम होता है। 4. जो सर्वनाम किसी निश्चित प्राणी, वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं, 'निश्चयवाचक सर्वनाम' कहलाते हैं; जैसे–यह, वह, ये, वे। **उदाहरण–**(क) वह कौन है? (ख) ये सभी चोर हैं। (ग) शर्मा जी का घर यह है, वह मेरा घर है। (घ) वे खिलाड़ी हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो, उसे 'अनिश्चयवाचक सर्वनाम' कहा जाता है; जैसे-कोई, किसी, कुछ। उदाहरण–(क) आपसे मिलने कोई आया है। (ख) मेरे लिए बाज़ार से कुछ लेते आना। (ग) वह किसी से कुछ नहीं कह सकता। **करने की बारी–**स्वयं करें।

## 13. विशेषण

**( क )** 1. 5 2. कालबोधक 3. क्रमवाचक 4. ध्वनिबोधक 5. दिशाबोधक **( ख )** नगरीय, रक्षित, हर्षित, नवीन, घृणित, भीतरी, नमकीन, दयालु, अंतिम, उड़ाऊ **( ग )** 1. दयालु-गुणवाचक 2. दोनों-निश्चित संख्यावाचक 3. सुंदर-गुणवाचक 4. चार किलो-निश्चित परिमाणवाचक 5. एक लीटर-निश्चित परिमाणवाचक, पंद्रह-निश्चित संख्यावाचक 6. कुछ-अनिश्चित परिमाणवाचक **( घ ) विशेषण–**1. चालीस 2. घोर 3. सुंदर 4. बुद्धिमान 5. पाँच किलो **विशेष्य–**1. छात्र 2. अंधकार 3. लड़की 4. व्यक्ति 5. दूध **( ङ )** 1. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को 'विशेषण' कहा जाता है। 2. विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, उसे विशेष्य कहते हैं; जैसे-'सुंदर कन्या' में 'कन्या' विशेष्य है, क्योंकि विशेषण 'सुंदर' इसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। 3. विशेषण के पाँच भेद हैं–(1) गुणवाचक (2) संख्यावाचक (3) परिमाणवाचक (4) सार्वनामिक (5) व्यक्तिवाचक 4. जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताएँ, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। **उदाहरण–**राम बहुत मोटा है। इस वाक्य में 'बहुत' शब्द 'मोटा' विशेषण की विशेषता बता रहा है इसलिए 'बहुत' शब्द प्रविशेषण है। 5. परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं; जैसे-**थोड़ा** घी, **दो किलो** चावल आदि। संख्यावाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं; जैसे-

**तीन** दिन, **दो** लड़के, **चौथा** घर आदि। **करने की बारी**–स्वयं करें।

## 14. क्रिया

**( क )** 1. दो 2. छह 3. अपनाना 4. कर **( ख )** 1. बजवाया 2. लिखवाया 3. बनवाई **( ग ) अकर्मक**–2. रोया 3. खेलता है **सकर्मक**–1. काटता है 4. गाया 5. खेलती हूँ। **( घ )** चकराना, ललचाना, रँगना, बतियाना, अपनाना, शर्माना, सठियाना, झुठलाना **( ङ )** 1. लिखकर 2. खेलकर 3. खाकर 4. देकर **( च )** 1. जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे 'क्रिया' कहते हैं; जैसे–कविता पत्र लिखती है। लड़की सुंदर है। इन वाक्यों में 'लिखती है' व 'है' क्रियाएँ हैं। 2. कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं–(1) अकर्मक क्रिया (2) सकर्मक क्रिया 3. कुछ सकर्मक क्रियाएँ अपने साथ दो कर्म रखती हैं। वे द्विकर्मक क्रियाएँ कहलाती हैं। 4. जिस क्रिया से पता चले, कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह 'प्रेरणार्थक क्रिया' कहलाती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य करता है; जैसे–मोहन चाय पिलाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाता है; जैसे–मोहन नौकर से चाय पिलवाता है। **करने की बारी**–स्वयं करें।

## 15. काल

**( क )** 1. तीन 2. छह 3. भविष्यत् काल 4. पूर्ण भूत **( ख )** 1. काल 2. आसन्न 3. भूतकाल 4. समय 5. अपूर्ण **( ग ) अपूर्ण वर्तमान**–1. पिताजी आ रहे हैं। 2. करुणा चाय बना रही है। 3. बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। 4. वह नहा रहा है। 5. हम सब मंदिर जा रहे हैं। **संदिग्ध वर्तमान**–1. पिताजी आते होंगे। 2. करुणा चाय बना रही होगी। 3. बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे। 4. वह नहा रहा होगा। 5. हम सब मंदिर जा रहे होंगे। **( घ )** 1. क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है, उस समय को ही क्रिया का काल कहते हैं। 2. काल के तीन भेद हैं–**( क ) भूतकाल**–क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होना प्रकट हो, उसे भूतकाल कहते हैं; जैसे–राम ने रावण को मारा। **( ख ) वर्तमान काल**–जो समय चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते है; जैसे–बच्चा रोता है। मोहन खेल रहा है। **( ग ) भविष्यत् काल**–क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो, कि कार्य आने वाले समय में होगा, वह 'भविष्यत् काल' कहलाता है; जैसे–वह जाएगा। मैं पढ़ूँगा। 3. भूतकाल के छह भेद हैं–(1) सामान्य भूत (2) आसन्न भूत (3) अपूर्ण भूत (4) पूर्ण भूत (5) संदिग्ध भूत (6) हेतुहेतुमद् भूत 4. वर्तमान काल के तीन भेद हैं–(1) **सामान्य वर्तमान**–क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं; जैसे–वह जाता है।, रेखा खेलती है।, मैं पत्र लिखता हूँ। (2) **अपूर्ण वर्तमान**–क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, कि कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ; वह अपूर्ण

वर्तमान कहलाता है; जैसे–मैं पत्र लिख रहा हूँ। पक्षी उड़ रहे हैं। (3) **संदिग्ध वर्तमान**–क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं; जैसे– सुनीता आती होगी। बच्चा भूखा होगा। **( ङ )** 1. क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था, उसे पूर्ण भूत कहते हैं; जैसे–वह विद्यालय गया था। वर्षा हुई थी। क्रिया का वह रूप, जिससे यह पता चले, कि कार्य भूतकाल में हो रहा था, किंतु उसकी समाप्ति के विषय में पता न चले, अपूर्ण भूत कहलाता है; जैसे–मोहित पढ़ रहा था। वर्षा हो रही थी। 2. भूतकाल की क्रिया के साधारण रूप को सामान्य भूत कहते हैं; जैसे–रवि आया। सुधा ने पत्र लिखा। दीपक गया। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी-अभी समाप्त होने का बोध हो, वह आसन्न भूत कहलाता है; जैसे–केशव अभी गया है। उसने पुस्तक पढ़ ली है। मैंने फूल तोड़ा है। **करने की बारी**–स्वयं करें।

## 16. वाच्य

**( क )** 1. तीन 2. अकर्मक **( ख )** 1. भाव वाच्य 2. कर्तृ वाच्य 3. कर्म वाच्य 4. भाव वाच्य 5. कर्तृ वाच्य **( ग )** 1. 3 2. 7 3. 3 4. 7 **( घ )** 1. ''क्रिया के उस रूप को वाच्य कहते हैं, जिससे पता चलता है, कि वाक्य में क्रिया का प्रमुख विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है।'' 2. वाच्य के भेद-**कर्तृवाच्य, उदाहरण**–सुरेश फल खाता है। आरती पत्र लिखती है। **कर्मवाच्य, उदाहरण**–सुरेश द्वारा फल खाया जाता है। आरती द्वारा पत्र लिखा जाता है। **भाववाच्य उदाहरण**–सुरेश से पढ़ा नहीं जाता। आरती से दौड़ा जाता है। **करने की बारी**–स्वयं करें।

## 17. अविकारी शब्द ( अव्यय )

**( क )** 1. चार 2. चार 3. दो 4. समुच्चयबोधक 5. विरोधबोधक **( ख )** 1. पीछे 2. बिना 3. ऊपर 4. से होकर 5. सामने **( ग ) क्रियाविशेषण**–1. धीरे-धीरे 2. आगे 3. उतना, जितना 4. अब 5. यहाँ **भेद**–1. रीतिवाचक 2. स्थानवाचक 3. परिमाणवाचक 4. कालवाचक 5. स्थानवाचक **( घ )** 1. अन्यथा 2. ताकि 3. तो 4. इसलिए **( ङ )** 1. घृणासूचक 2. शोकसूचक 3. हर्षबोधक 4. सावधानीबोधक 5. हर्षबोधक **( च )** 1. ऐसे शब्द, जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात् जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें **अविकारी शब्द** कहते हैं। अविकारी का अर्थ है-'जिसमें विकार या परिवर्तन न आए। 2. जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें **संबंधबोधक अव्यय** कहते हैं। **उदाहरण**–(1) आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। (2) मेरे घर के आगे एक पेड़ है। (3)

उसके साथ मत खेलो। (4) गाय पेड़ की ओर देख रही थी (5) वह मेरे पास खड़ा है। (6) यहाँ आने से पहले हम प्रसन्न थे। उपर्युक्त वाक्यों में 'के बिना, के आगे, की ओर, पास, से पहले संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बता रहे हैं। अत: ये संबंधबोधक अव्यय हैं। 3. दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। **उदाहरण–**(1)भाई **और** बहिन–(शब्द-योजक) (2) सेब **तथा** केले–(शब्द-योजक) (3) मोहन का भाई **एवं** रोहन का मित्र–(वाक्यांश-योजक) (4) वह चलता रहा, **इसलिए** वह समय पर पहुँच गया।–(वाक्य-योजक) (5) सूरज निकला **और** ओस सूखने लगी।–(वाक्य-योजक) उपर्युक्त उदाहरणों में काले मोटे छपे शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को परस्पर जोड़ रहे हैं। ये समुच्चयबोधक अव्यय हैं। 4. जिन अविकारी शब्दों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं, परंतु जिनका संबंध वाक्य या उसके किसी पद से नहीं होता, उन्हें **विस्मयादिबोधक अव्यय** कहते हैं। **उदाहरण–** आह! कितना सुंदर दृश्य है। छि:! कितनी गंदगी फैली हुई है। उपर्युक्त वाक्यों में 'अहा' हर्ष का भाव तथा 'छि:' घृणा का भाव प्रकट कर रहा है। अत: ये विस्मयादिबोधक हैं। **छ.** 1. क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं जबकि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। 2. हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जो संबंधबोधक तथा क्रियाविशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है, तब ये संबंधबोधक होते हैं, परंतु जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, तो क्रियाविशेषण होते हैं। **संबंधबोधक**-कमरे के भीतर आइए। **क्रिया-विशेषण–**भीतर आइए। 3. जो क्रियाविशेषण क्रिया का परिमाण या मात्रा बताते हैं, वे परिमाणवाचक क्रियाविशेषण होते हैं। **उदाहरण–**वह **अधिक** बोलता है। शीला **कुछ** मुस्कुराई। जिन क्रियाविशेषणों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले, वे रीतिवाचक क्रियाविशेषण होते हैं। **उदाहरण–**वह **विनयपूर्वक** बोलता है। हिरन **तेज़** दौड़ता है। **करने की बारी–**स्वयं करें।

## 18. विराम-चिह्न

**( क )** 1. ( ) 2. । 3. ! **( ख )** 1. उपविराम 2. लाघव चिह्न 3. विवरण चिह्न 4. योजक चिह्न 5. त्रुटिपूरक चिह्न 6. अल्पविराम 7. दोहरा उद्धरण चिह्न 8. अर्ध विराम **( ग )** 1. कथन के स्पष्टीकरण, शैली को गतिशील और विचारों को सुबोध बनाने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम-चिह्न कहते हैं। 2. अल्पविराम के प्रयोग की स्थितियाँ निम्न प्रकार हैं- (क) एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों को अलग करने के लिए; जैसे-(i) रवि, हरि, अंकित और विनोद पढ़ रहे हैं। (ii) वह स्वस्थ, सुंदर, ईमानदार और परिश्रमी है। (ख) उपवाक्यों को अलग करने के लिए; जैसे-(i) वह कमाता तो बहुत है, परंतु खर्च कर

देता है। (ii) जो भी होगा, देखा जाएगा। (ग) उद्धरण से पहले; जैसे-अध्यापक ने कहा, ''पृथ्वी गोल है और सूर्य की परिक्रमा करती है।'' (घ) संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए तथा 'हाँ' या 'नहीं' के पश्चात्–(i) मित्रो, कल हमें तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करना है। (ii) हाँ, हम चलेंगे। (iii) नहीं, वे नहीं जाएँगे। (ङ) पत्र में अभिवादन, समाप्ति, पता, दिनांक आदि के लिए-**अभिवादन में–**पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, **समाप्ति में–**भवदीय, आपका, आपका आज्ञाकारी आदि। **पता–**21-ए, शांतिनगर **दिनांक–** 27 अगस्त, 20..... .... 3. पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है जबकि विस्मयादिबोधक चिह्न का प्रयोग प्राय: वाक्य के प्रारंभ में होता है। 4. वक्ता अथवा लेखक की बात को ज्यों-का-त्यों बताने के लिए दोहरे उद्धरण चिह्न (''.....'') का प्रयोग किया जाता है; जैसे- नेताजी का आह्वान था–''तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा।'' शास्त्रीजी ने कहा था–''जय जवान, जय किसान।'' किसी रचना, पुस्तक या किसी व्यक्ति के उपनाम को दर्शाने के लिए इकहरे उद्धरण चिह्न ('.....') का प्रयोग किया जाता है; जैसे– हरिवंशराय बच्चन की 'मधुशाला' लोकप्रिय कविता-संग्रह है। रामधारी सिंह 'दिनकर' महान कवि थे। **करने की बारी–**स्वयं करें।

## 19. वाक्य विचार

**( क )** 1. उद्देश्य 2. आठ 3. तीन **( ख )** 1. वह यहाँ आकर चला गया। 2. जो धनी व्यक्ति है, वह हर वस्तु खरीद सकता है। 3. बच्चा रोया और चुप हो गया। 4. जैसे ही रोगी ने दवाई पी वैसे ही उसने उल्टी कर दी। 5. रवि ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इनाम पाया। 6. उन कविताओं को देखकर मेरी आँखें भर आईं। **( ग )** 1. पदों के व्यवस्थित समूह को 'वाक्य' कहते हैं। 2. **उद्देश्य**-वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए, उसे 'उद्देश्य' कहते हैं; जैसे- 'लड़का मैदान में खेल रहा है' यहाँ 'लड़के' के विषय में कहा गया है। अत: 'लड़का' वाक्य का उद्देश्य है। **विधेय**-वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उसे 'विधेय' कहते हैं; जैसे- 'लड़का मैदान में खेल रहा है' यहाँ 'मैदान में खेल रहा है' में उद्देश्य (लड़का) के विषय में बताया गया है। अत: यही वाक्य का विधेय है। 3. रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं–(1) सरल वाक्य (2) संयुक्त वाक्य (3) मिश्रित वाक्य। **करने की बारी–**स्वयं करें।

## 20. मुहावरे और लोकोक्तियाँ

**( क )** 1. अभ्यास 2. कहावत **( ख )** 1. जीत जाना 2. दुर्घटनाग्रस्त होने से जरा सा बचना 3. कुछ भी हानि न होना 4. साफ मना कर देना **( ग )** 1. मूर्खों में थोड़ा जानने वाला भी विद्वान माना जाता है। 2. बने हुए काम को बिगाड़ देना। 3. बिल्कुल अनपढ़। 4. किए का फल भोगना **( घ )** 1. ऐसा वाक्यांश, जो सामान्य अथवा शाब्दिक अर्थ को प्रतीत न कराकर, विशेष अर्थ

का बोध कराए, मुहावरा कहलाता है। जैसे-'अँगूठा दिखाना' वाक्यांश का विशेष अर्थ है-साफ मना कर देना। अत: 'अँगूठा दिखाना' मुहावरा है। 2. लोक में प्रचलित उक्ति (कथन) को लोकोक्ति कहते हैं। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में 'कहावत' भी कहा जाता है; जैसे-'अंधों में काना राजा' लोकोक्ति है जिसका अर्थ है-'मूर्खों में थोड़ा जानने वाला भी विद्वान माना जाता है। 3. (क) लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति होती है, जो भूतकाल का लोक-अनुभव लिए हुए होती है, जबकि मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। (ख) लोकोक्ति पूर्ण-वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्य-खंड होता है। अत: लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी किया जा सकता है, परंतु मुहावरा वाक्य में प्रयुक्त होकर ही अपना अर्थ स्पष्ट करता है। **करने की बारी**–स्वयं करें।